भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 739
17 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

एनयूएलएम के लिए धनराशि

739. **श्री उत्तम कुमार रेड्डीः**
क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वर्षों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) एनयूएलएम बजट से विशेष रूप से शहरी बेघरों (एसयूएच) के लिए एनयूएलएम आश्रय हेतु कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है और इन आश्रयों के निर्माण, आश्रय की मरम्मत और रखरखाव पर व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेलंगाना में निर्मित आश्रयों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) दीनदयाल अंतोदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को समेकित रूप से धनराशि जारी की जाती है जिसमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, उनकी आवश्यकतानुसार, शहरी बेघरों के लिए आवास (एसयूएच) सहित, मिशन के विभिन्न घटकों के लिए समुचित राशि आवंटित की जाती है । इस मिशन के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा और तेलंगाना राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान इसके उपयोग को अनुलग्नक I में दर्शाया गया है।

(ग) इस मिशन के तहत तेलंगाना में अब तक, 2,813 व्यक्तियों की क्षमता वाले 34 आश्रय क्रियाशील हैं ।

दिनांक 17.09.2020 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न से 739 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

डीएवाई- एनयूएलएम के तहत वर्ष 2018-19 से 2019-20 (09.09.2020 तक की स्थिति के अनुसार) जारी केंद्रीय निधियों का राज्यवार ब्यौरा और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनका उपयोग

क्र .	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वित्तय 2018-19		वित्तीय वर्ष 2019-20	
		जारी	उपयोग *	जारी	उपयोग *
1	आंध्र प्रदेश	30.20	71.20	98.45	98.45
2	अरुणाचल प्रदेश	3.66	7.54	6.59	4.50
3	असम	0.00	20.09	14.86	22.25
4	बिहार	42.52	25.80	31.08	60.39
5	छत्तीसगढ़	21.15	19.13	17.02	18.14
6	गोवा	4.85	4.32	3.40	2.48
7	गुजरात	30.94	40.31	14.08	64.95
8	हरियाणा	0.00	16.28	29.63	23.60
9	हिमाचल प्रदेश	1.69	4.53	6.81	4.60
10	जम्मू और कश्मीर	3.23	4.00	11.56	7.69
11	झारखंड	11.24	21.61	16.28	33.30
12	कर्नाटक	0.00	31.48	16.46	24.47
13	केरल	18.60	33.00	24.09	24.09
14	मध्य प्रदेश	21.60	44.53	48.80	28.12
15	महाराष्ट्र	0.00	162.67	0.00	128.23
16	मणिपुर	0.00	3.06	3.65	2.44
17	मेघालय	0.00	0.70	0.00	4.81
18	मिजोरम	6.82	6.87	5.82	5.82
19	नागालैंड	3.43	9.21	4.06	3.35
20	ओडिशा	16.24	13.89	14.32	12.62
21	पंजाब	0.00	4.50	16.17	10.07
22	राजस्थान	31.10	33.97	38.11	38.11
23	सिक्किम	1.12	3.22	2.44	0.00
24	तमिलनाडु	68.53	59.79	81.36	103.81
25	तेलंगाना	15.56	12.16	42.13	35.60
26	त्रिपुरा	6.33	5.93	7.88	5.16
27	उत्तर प्रदेश	53.38	84.24	98.56	97.86

28	उत्तराखंड	**7.75**	**3.46**	**7.32**	**6.18**
29	पश्चिम बंगाल	**35.94**	**32.61**	**25.79**	**39.61**
30	दमन और द्वीप	**0.00**	**0.05**	**0.00**	**0.35**
31	चंडीगढ़	**1.82**	**2.29**	**3.08**	**2.43**
32	दादरा एवं नगर हवेली	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
33	दमन और दीव	**0.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
34	दिल्ली	**0.00**	**2.01**	**0.00**	**8.12**
35	पुडुचेरी	**1.97**	**1.97**	**2.97**	**2.19**
36	लद्दाख	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल	**439.85**	**786.41**	**692.76**	**923.78**

उपयोग के आंकडों में गत वर्ष में संवितरित राशि शामिल है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों के उपयोग और उनके पास बिना खर्च किए गए उपलब्ध बकायों के दृष्टिगत जीएफआर नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार निधियां जारी की जाती हैं।